Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed)
Journal home page: www.jmsjournals.in, **ISSN: 2454-8367**
Vol. 08, Issue-III, Jan. 2023

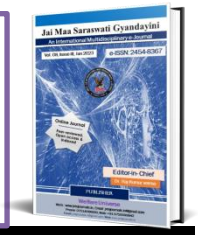

वैश्यावृत्ति को रोकने में भारतीय कानून व्यवस्थाः एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन
(Indian Legal System in Preventing Prostitution: An Analytical Study)

Vikram Jatav[a,*] **Dr. Neeti Pandey**[b,**]

[a] *Ph.D. Scholar (Law), Madhav Vidhi Mahavidhyalaya, Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh, (India).*

[b] *Principal (Law), Madhav Vidhi Mahavidhyalaya, Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh, (India).*

KEYWORDS

वेश्यावृत्ति, विद्यमान कानून व्यवस्था, सामाजिक प्रभाव, रोकथाम के उपाय, वर्तमान

ABSTRACT

वेश्यावृत्ति भारत की ही समस्या नही है, वल्कि यह समूचे विश्व की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए विश्व के सभी देश प्रयासरत है, लेकिन समस्या की दर घटने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। प्रश्न यह है कि वैश्यावत्ति से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ प्रत्येक देश में देखने को मिलती है। जो भी देश इस समस्या से पीड़ित है, वो इनको रोकने के लिए अतिआवश्यक कदम उठाते है, जैसे कि चिकित्सा सुबिधा, व्यवस्थित नियमित देख रेख इत्यादि। यदि भारत में उपर्युक्त समस्या का अवलोकन किया जाये तो इसकी जड़े प्राचीन समय से प्रचलित हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए समय समय पर काफी प्रयास किये गये, लेकिन असफल रहे क्योंकि आमजन एवं शासको ने इनकों रोकने के लिए प्रभावकारी कदम नही उठाये। इसका प्रमुख कारण लोगों के द्वारा मनोरंजन एवं भोगविलास का साधन माना जाता रहा है। जब भी वेश्यावृत्ति को शासन प्रशासन द्वारा रोकने के लिए कदम उठाये जाते है, तब यह चोरी छुपे या अप्रत्यक्ष रूप से थोड़े समय के लिए रूक जाता है, और फिर कुछ समय पश्चात पुनः प्रारम्भ हो जाता है। देश आजादी के बाद इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कानूनों का निर्माण किया गया। और न्यायपालिका द्वारा भी महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से रोकने का सराहनीय प्रयास किया है। इस शोध कार्य के माध्यम से शोधार्थी द्वारा समाज में वेश्यावृत्ति के कारणों का पता लगाना एवं इसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है।

प्रस्तावना

नई पीढ़ी का पाश्चात्य शैली की ओर उन्मुख हो जाना और चका चौंध वाली जीवन शैली को अपनाने के चक्कर में नव युवक एवं युवतियॉ देह व्यापार की ओर आकर्षित हो जाते है। देह व्यापार किसी भी देश में सम्मानजनक पेशा या व्यापार नही कहा जा सकता। क्योंकि कोई भी इस व्यापार को स्वैच्छया से नही अपनाना चाहता है। कुछ न कुछ मजबूरियाँ रही होगी, जिसकी बजह से कोई स्त्री/पुरूष इस व्यवसाय में कदम रखती है। इसलिए इस व्यापार को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है। यह प्रत्येक समाज का एक अनिष्टकर लक्षण है। अधिकतर लोगों के द्वारा इस व्यवसाय को अमोद प्रमोद व आय के साधन के रूप देखा जाता है। लेकिन विधिक दृष्टि से यह विधि विरूद्व कार्य/व्यवसाय है। उनको इस व्यवसाय से दूर करने के लिए प्रत्येक देश विभिन्न तरीको से प्रयास करता है।

देह व्यापार में ऐतिहासिक दृष्टिकोण

वेश्यावृत्ति के समबन्ध में कौटिल्य ने ईसा पूर्व तीसरी और चौथी शताब्दी के आस–पास लिखे अपने उत्कृष्ठ कृति ''अर्थशास्त्र'' में उल्लेख किया गया है कि वेश्याओं का उपयोग जनता के यौन मनोरंजन प्रदान करना न केवल राज्य द्वारा कढ़ाई से नियंत्रित गतिविधि थी, बल्कि ऐसा भी था जो अधिकांश भाग के लिये राज्य के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में वेश्यावृत्ति का प्रयोग किया जाता था। जो स्त्रियाँ अपने सौंदर्य अर्थात् रूपाजीव से जीती थीं वे पुरूषों का स्वतंत्र अभ्यासियों के रूप में

Corresponding author
***E-mail:** pippal.vikram2023@gmail.com (Vikram Jatav). https://orcid.org/0000-0002-0410-4945
***E-mail:** neetipathakpprincial@gmail.com (Dr. Neeti Pandey). https://orcid.org/0000-0003-1522-5221

DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v8n3.06
Received 12th Nov. 2022; Accepted 25th Nov. 2022; Available online 23rd Jan. 2023

2454-8367 /©2023 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

मनोरंजन कर सकती थीं।

देह व्यापार में पारिवारिक की स्थिति

देह व्यापार को विवाह कुटुम्ब संस्था के लिये एक बुराई के रूप में लिया जाता है। विधि निर्माता इस बात से अशंकित है, कि यदि लोग आनंद के लिये लैंगिग क्रिया कलापों में सम्मिलित होंगे, तो समाज को एक सूत्र में बांधने वाला धागा टूट जायेगा। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है जिसमें एक व्यक्ति पैसे या अन्य मौद्रिक सम्पत्ति के लिये यौन गतिविधियों में शामिल होता है। यह पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना उचित नही होगा।

देह व्यापार के विभिन्न कारक

देह व्यापार के बहुत से कारण है जिनके कारण स्त्री व पुरूषों को देह व्यापार में घुसना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है–

1. अन्याय पूर्ण लिंग सम्बंध,
2. गरीबी,
3. धोखाधड़ी
4. जबरन विवाह,
5. शारीरिक हिंसा,
6. नकली प्रेम सम्बंध
7. वेश्यावृत्ति के लिये तस्करी
8. स्पा सेंटर एवं बार बार डांसर के रूप में
9. कॉल गर्ल,

इत्यादि

वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित कानून

अपराधों को रोकने के लिए भारतीय विधि द्वारा अतुलनीय प्रयास किये गये है। जिनमें वेश्यावत्ति का अध्ययन करने से पता चलता है कि ''अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956'' पारित किया गया उसके बावजूद भी भारत में वेश्यावृत्ति को रोकना पूर्णता प्रभावी नहीं हुआ। आज की स्थितियों के अनुरूप भारतीय विधि तंत्र में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे है। जैसे कि विद्यमान कानूनों में बदलाव किया जाना और आवश्यकता पड़ने पर नये कानूनों का निर्माण करना इत्यादि।

वेश्यावृत्ति व देह व्यापार के सम्बन्ध में न्यायपालिका दृष्टिकोण

देह व्यापार व वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय न्यायपालिका द्वारा अतुलनीय कार्य किया है। न्यायपालिका के द्वारा हमेशा से सह ध्यान रखा गया है, कि वेश्यावृत्ति को रोकने के साथ–साथ वेश्यावृत्ति व देह व्यापार करने वालों के मूल अधिकारों का हनन भी न हो। इसका जीता जागता उदाहरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कि अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को अपने हिसाब से जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है और उसे किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार केवल सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृति करना, कराना या उसे करने का प्रबंध करना कानून का उल्लंघन है।

माननीय न्यायलयों द्वारा ये भी जोर दिया गया कि वेश्याओं के सहमति से यौन संबंध बनाने को कानून बनाकर क्यों न वेश्यावृत्ति को एक वैधानिक रूप से लागू कर दिया जाये। इससे बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के मामलों में काफी गिरावट आएगी। चिकित्सकीय परीक्षण करने के लिए वेश्यवृत्ति करने वाले कामगरों का एक निश्चित रिकॉर्ड रहेगा जिसमें उनका चिकित्सीय परीक्षण विधिक रूप से कराया जा सकेगा। समाज में व्याप्त महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक शोषण संबंधी अपराधों में भी काफी गिरावट आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2022 में अपने आदेश में कहा कि वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय है उसे बंद किया जाना उस पर पूर्णता रोक लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 तहत अवैधानिक होगा। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को उसके निजी व्यवसाय से रुकने से प्रतिबंधित नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायलय द्वारा दिये गये निर्णय निम्नलिखित है–

चिन्नम्मा शिवदास बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)[1] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षात्मक घरों के मामले को निपटाया है। इस मामले में महिलाओं को वेश्यालयों से छुड़ाया गया. न्यायालय ने कहा कि सुरक्षात्मक घरों में रहने वाली परित्यक्त महिला को मानवीय सम्मान के साथ रहने और निर्वहन के बाद लाभकारी रोजगार खोजने में सक्षम होना चाहिए।

गुडिया स्वयं सेवी संस्था बनाम यू.पी. राज्य व अन्य[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रवर्तन के मुद्दे पर चर्चा की हैः अदालत ने देखा कि वेश्यालय से छुड़ाई गई लड़कियों और वेश्यालय का आयोजन करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी और न्यायालय आमतौर पर इस अंतर को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं। अदालत के अनुसार यह विफलता सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायिका और कार्यपालिका भी पुनर्वास के लिए सुविचारित योजना

बनाने में विफल रही है, यह विफलता सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।

विशाल जीत बनाम भारत संघ और अन्य[3] के मामले में– सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से दायर रिट याचिका में देह व्यापार और बच्चियों के यौन शोषण के संवेदनशील मामले को निपटाया है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने तस्करी की गई महिलाओं और बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, इस बुराई के कारणों और प्रभावों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन करने का आदेश दिया। खासकर जब से यह कोई सामाजिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक–आर्थिक समस्या है।

समजिक प्रभाव

भारत में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए महिलाओं के विरूद्व लैंगिक शोषण के अपराधों का अनुभव आश्रित अध्ययन

शोधार्थी द्वारा इस भाग में अनुभव आश्रित पद्वति को अपनाकर प्रश्नावली के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि आम जनता के बाच जाकर देह व्यापार सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिए विद्यमान कानूनों की भूमिका के बारें में क्या विचारधारा/राय है। जिसके सन्दर्भ में शोधार्थी द्वारा 100 व्यक्तियों से सम्पर्क किया जिसमे प्रश्नावली के माध्यम ऑनलाइन/ ऑफलाइन पद्वति का उपयोग करते हुए भारत में शोध कार्य किया एवं शोधार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार के शोध ऑकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

ऑकड़ों का विश्लेषण

शोधार्थी द्वारा भारत में देह व्यापार सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों व संघशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में व अन्य स्थानों पर जाकर जनता की राय जानने की कोशिश की गई। जिनका विवरण निम्नलिखित है–

तालिका 01

क.स.	स्थिति	पुरूष
01	शिक्षित	25
02	अशिक्षित	10
03	नौकरी	15
04	मजदूरी	10
05	व्यवसाय	12
06	वेरोजगार	28
योग		100

प्रश्न सं. 01: क्या आप वेश्यावृत्ति के बारे में जानते है ?

प्र.क.– 01 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
हॉ	95	95.00
नही	05	5.00
कुल	100	100

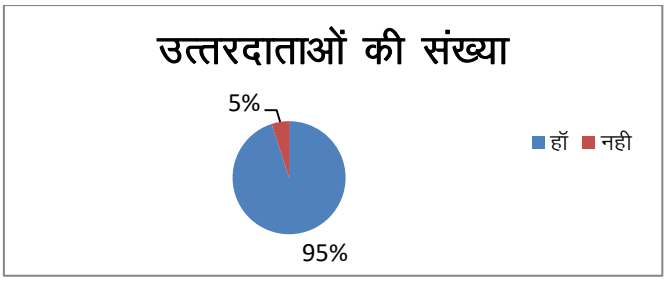

उत्तर सं. 01: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 95 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 95.00 है। 05 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5.00 है। ?

प्रश्न सं. 02: क्या आप सोचते है कि वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय है ?

प्र.क.– 02 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
हॉ	78	78
नही	22	22
कुल	100	100

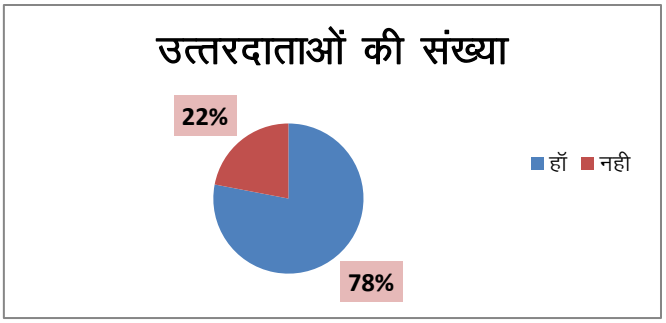

उत्तर सं. 02: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 78 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 78.00 है। 22 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 22.00 है।

प्रश्न सं. 03: क्या आप सोचते है कि भारत मे भी वेश्यावृत्ति होती है ?

प्र.क.– 03 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
हॉ	90	90.00
नही	3	3.00
थोड़ी बहुत	7	7.00
कुल	100	100

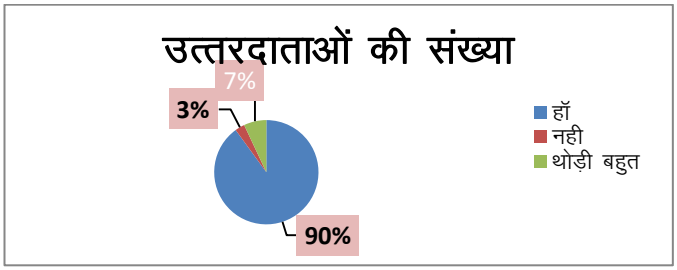

उत्तर सं. 03: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 90 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत कमशः 90.00 है। 03 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नही**'' जिनका प्रतिशत कमशः 3.00 है। 7 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**थोड़ी बहुत**'' जिनका प्रतिशत कमशः 7.00 है।

प्रश्न सं. 04: क्या आप बात सकते है कि वेश्यावृत्ति के क्या कारण है ?

प्र.क.– 04 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
वेरोजगारी	3	3.00
गरीबी	7	7.00
अशिक्षा	5	5.00
जबरन	5	5.00
शौकवश	7	7.00
उर्पयुक्त सभी	70	70.00
कोई भी नहीं	3	3.00
कुल	100	100

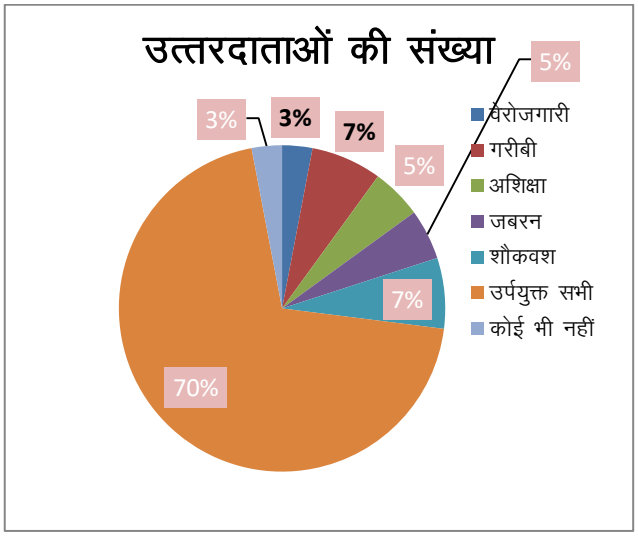

उत्तर सं. 04: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 3 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–'' **वेरोजगारी**'' जिनका प्रतिशत कमशः 3.00 है। 7 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **गरीबी**'' जिनका प्रतिशत कमशः 7.00 है। 5 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**अशिक्षा**'' जिनका प्रतिशत कमशः 5.00 है। 5 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**जबरन**'' जिनका प्रतिशत कमशः 5.00 है। 7 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**शौकवश**'' जिनका प्रतिशत कमशः 7.00 है। 70 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उर्पयुक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत कमशः 70.00 है। 3 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**कोई भी नही**'' जिनका प्रतिशत कमशः 3.00 है।

प्रश्न सं. 05: क्या आप बता सकते है कि वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में कौन से लोग शामिल होते है ?

प्र.क.– 05 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
स्कूल के विधार्थी	00	0.00
कालेज के विधार्थी	03	3.00
अपहत किए गए बच्चें	04	4.00
अपहत की गई महिलायें	12	12.00
स्वैच्छया से स्वयं	08	8.00
अन्य प्रकार से लाए गए महिलायें या बच्चें	17	17.00
उपर्युक्त सभी	54	54.00

उपर्युक्त में से कोई नही	2	2.00
कुल	100	100

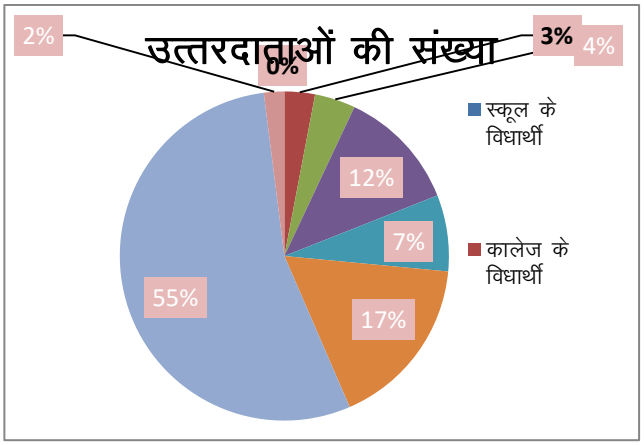

उत्तर सं. 04: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 00 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–'' **स्कूल के विधार्थी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः नगण्य है। 3 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**कालेज के विधार्थी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 3.00 है। 4 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**अपहत किए गए बच्चें**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 4.00 है। 48 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **अपहत की गई महिलायें**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.00 है। 8 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**स्वैच्छया से स्वयं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 8.00 है। 17 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **अन्य प्रकार से लाए गए महिलायें या बच्चें**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 17.00 है। 54 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपर्युक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 54.00 है। 02 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपर्युक्त में से कोई नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 2.00 है।

प्रश्न सं. 06: क्या आप बता सकते है कि भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कोई कानून है?

प्र.क.– 06 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
हॉ	62	62.00
नही	20	20.00
मुझे पता ही नही है	18	18.00
कुल	100	100

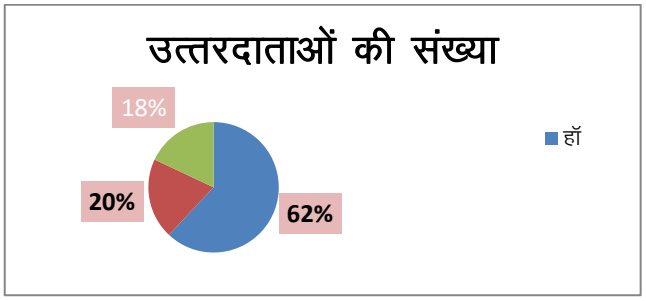

उत्तर सं. 06: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 62 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 62.00 है। 20 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 20.00 है। 18 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **मुझे पता ही नही है**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 18.00 है।

प्रश्न सं. 07: क्या आप बता सकते है कि भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा समुचित उपाय किए गए है ?

प्र.क.– 07 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
हॉ	38	38.00
नही	50	50.00
मुझे पता ही नही है	12	12.00
कुल	100	100

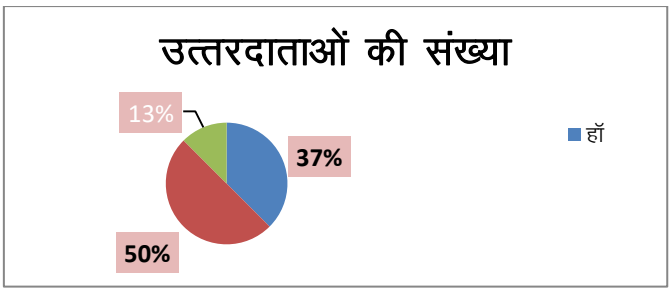

उत्तर सं. 07: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 38 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 38.00 है। 50 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 50.00 है। 12 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **मुझे पता ही नही है**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.00 है।

प्रश्न सं. 08: क्या आप बता सकते है कि वेश्यावृत्ति के शिकार हुए बच्चें व महिलाओं के लिए सरकार द्वारा पुर्नवास की व्यावस्था की गई है?

प्र.क.– 08 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
हॉ	45	45.00
नही	18	18.00
थोड़ी–बहुत	37	37.00
कुल	100	100

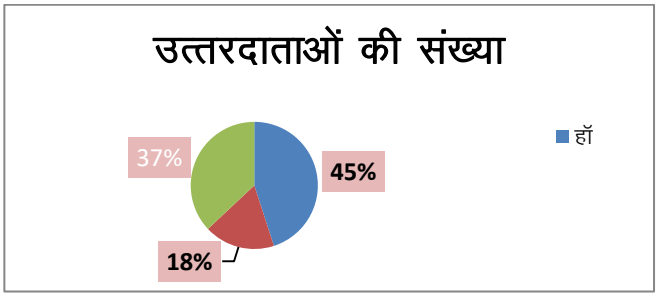

उत्तर सं. 08: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 45 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 45.00 है। 18 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 18.00 है। 37 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**थोड़ी–बहुत**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 37.00 है।

प्रश्न सं. 09: क्या आप बता सकते है कि वेश्यावृत्ति के शिकार हुए बच्चें व महिलाओं के लिए सरकार द्वारा पुर्नवास की व्यावस्था की गई है?

प्र.क.– 09 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
हॉ	48	48.00
नही	27	27.00
पता नही	25	25.00
कुल	100	100

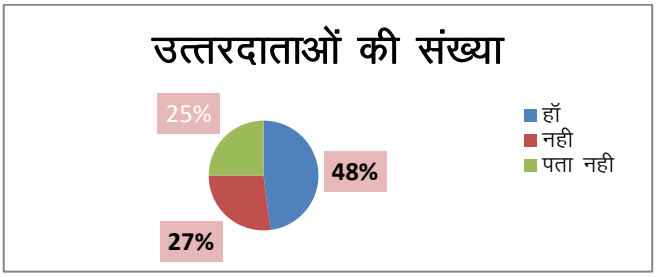

उत्तर सं. 09: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 48 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 48.00 है। 27 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 27.00 है। 25 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**पता नही**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 25.00 है।

प्रश्न सं. 10: क्या आप बता सकते है कि सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए किसकी मदद ली जाती है?

प्र.क.– 10 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
शासकीय कर्मचारियों द्वारा	05	5.00
एन.जी.ओ. द्वारा	19	19.00
इन्टरनेट द्वारा	05	5.00
जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा	15	15.00
स्कूल और कालेज के छात्रों की	01	1.00
किसी कि भी नहीं	10	10.00
उपर्युक्त सभी की	45	45.00
कुल	100	100

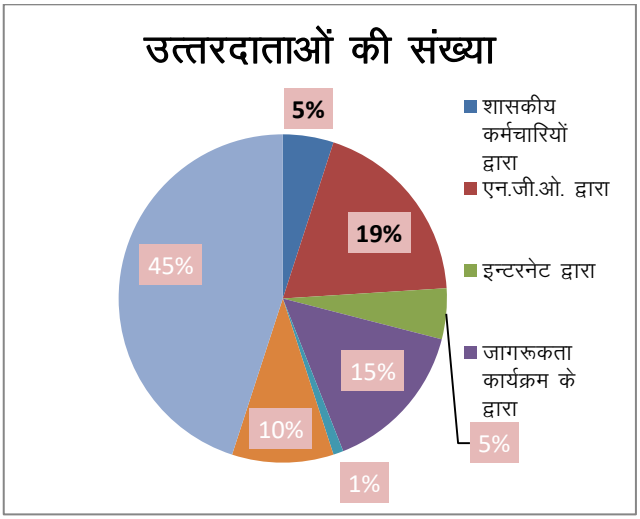

उत्तर सं. 10: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 05 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**शासकीय कर्मचारियों द्वारा**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5.00 है। 19 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**एन.जी.ओ. द्वारा**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 19.00 है। 05 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**इन्टरनेट द्वारा**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5.00 है। 15 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 15.00 है। 01 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**स्कूल और कालेज के छात्रों की**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 1.00 है। 10 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **किसी कि भी नहीं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 है। 45 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपर्युक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 45.00 है।

प्रश्न सं. 11: क्या आप बता सकते है कि वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिये ?

प्र.क.– 11 तालिका

उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
स्वैच्छया से इस व्यवसाय को अपनाने वालों का लाईसेंस प्रदान कर देना चाहिये	12	12.00
इन्टरनेट द्वारा एसी गतिविधियों को रोक देना चाहिए	05	5.00
जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा जन जन तक पहँचना चाहिये	12	12.00
स्कूल और कालेज के छात्रों की मदद लेनी चाहिये	10	10.00
कड़े कानूनी प्रावधान कर देने चाहिए	25	25.00
उपर्युक्त सभी की	33	33.00
उपर्युक्त में से कोई नही	3	3.00
कुल	100	100

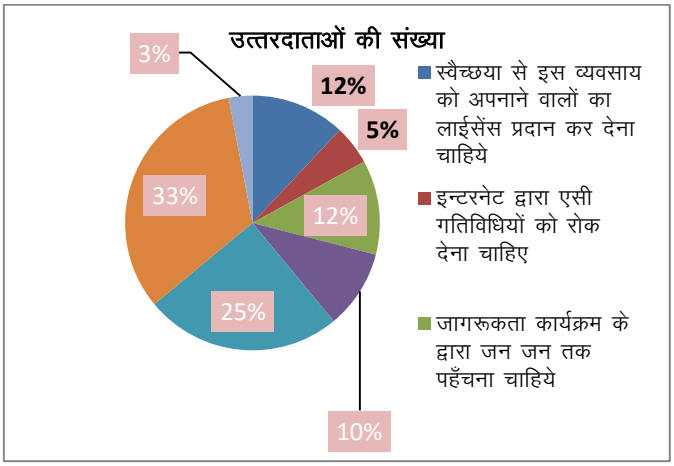

उत्तर सं. 11: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 100 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 12 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–'' **स्वैच्छया से इस व्यवसाय को अपनाने वालों का लाईसेंस प्रदान कर देना चाहिये**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.00 है। 05 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **इन्टरनेट द्वारा एसी गतिविधियों को रोक देना चाहिए**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5.00 है। 12 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा जन जन तक पहँचना चाहिये**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.00 है। 10 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **स्कूल और कालेज के छात्रों की मदद लेनी चाहिये**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 है। 25 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**कड़े कानूनी प्रावधान कर देने चाहिए**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 25.00 है। 33 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपर्युक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 33.00 है। 3 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **उपर्युक्त में से कोई नहीं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 3.00 है।

निष्कर्ष

समाज व प्रशासन को देह व्यापार करने वाले कामगारों के प्रति सुधारात्मक रवैया अपनाते हुए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कानून का पालन करे, एवं जब कोई स्त्री अपनी मजबूरियों के कारण जब इस व्यापार को अपनायें तो उस स्त्री की हर संभव मदद की जाये, जिससे वह ऐसे पेशे या व्यापार को अपनाने के लिये मजबूर न हो। साथ ही उसके पुर्नवास व रोजगार की भी व्यवस्था शासन व प्रशासन को करनी चाहिये। और जो लोग इस व्यवसाय को अमोद प्रमोद व आय के साधन के रूप देखते है। उनको इस व्यवसाय से दूर करने के लिए प्रत्येक देश को विभिन्न तरीकों से रोकने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। इस शाध पत्र के माध्यम से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर कह

सकते है कि देह व्यावपार व वेश्यावृत्ति के प्रमुख कारणों के बारें में 3.00 प्रतिशत लोगों ने **'वेरोजगारी'** को माना है, 7.00 प्रतिशत लोगों ने **'गरीबी'** को माना है, 5.00 प्रतिशत लोगों ने **'अशिक्षा'** को माना है, 5.00 प्रतिशत लोगों ने **'जबरन वेश्यावृत्ति करवाने'** को माना है, 5.00 प्रतिशत लोगों ने **'शौकवश'** को माना है। अब प्रश्न यह है कि सरकार को क्या वेश्यावत्ति के व्यवसाय को अपनाने वालों को अनुज्ञप्ति प्रदान कर देनी चाहिये तो इस प्रश्न के उत्तर में व्यक्तियों द्वारा 12 प्रतिशत लोगों ने ही कहा कि ''**अनुज्ञप्ति प्रदान कर देनी चाहिये**''। समाज के व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त उत्तरों के माध्यम से मिले जुले उत्तर मिलें क्योंकि जब वेश्यावृत्ति पर किसी व्यक्तियों से प्रश्न किये जाते हैं तो स्वतंत्र रूप उत्तर देने की बजाय स्वयं में दुविधा में पड़ जाता है। समाज में देह व्यापार व वेश्यावत्ति को रोकने के लिए जारूकता कार्यक्रम समाजिक संस्थाओं व एन.जी.ओं के माध्यम से चलाये जा रहे है। 62 प्रतिशत लोगों का मानना है कि उनको वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित कानूनों के बारें में जानकारी है। जब लोगों से वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित जानकारी के बारें में प्रश्न किया गया तो 95 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हे इसकी जानकारी है। ओर कुछ लोगों ने तो ये भी बताया की इससे होने वाली बीमारियॉ कभी ठीक नही हो पाती है।

आवश्यक सुझाव

वेश्यवृत्ति को रोकने के लिए कुछ प्रमुख सुझााव निम्नलिखित है–

1. वेश्याओं के सहमति से यौन संबंध बनाने को कानून बनाकर क्यों न वेश्यावृत्ति को एक वैधानिक रूप से लागू कर दिया जाये।
2. वेश्यावृत्ति को एक वैधानिक रूप से लागू करने से बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के मामलों में काफी गिरावट आएगी।
3. चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो एड्स से संबंधित जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं उसमें भी काफी गिरावट आएगी क्योंकि इसके द्वारा वेश्याओं का एक निश्चित रिकॉर्ड रहेगा, जिसमें उनका चिकित्सीय परीक्षण विधिक रूप से कराया जाएगा।
4. वेश्यावत्ति के प्रयोजन से होने वाली तस्कारी को रोकने के लिए सरकार, प्रशासन व विधायिका को संयुक्त बैठक कर देह व्यापार व विधि विरूद्व रूप से की जाने वाली वेश्यावत्ति को रोकने हेतु पर्याप्त कदम उठाने चाहिये।
5. वेश्यावत्ति व देह व्यापार से होने वाली बीमारियों के प्रति समाज को जागरूक बनाया जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ

[1] Writ petition no: 2526 of 1981, decided on 4-9-1981
[2] 2010 AIR SCW 1182: 2010 Cr.L.L.J. 1433.
[3] 1990 (0) AIR (SC) 1412